भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-177

जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है ।

ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

***177. श्री राम शकल:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार मानती है कि आज भी देश ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आजादी के 100 साल पूरा होने से पहले देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 14.12.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 177 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) से (घ) : जी नहीं। देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त संस्थापित क्षमता है। दिनांक 30.11.2021 तक की स्थिति के अनुसार, संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 203 गीगावाट की व्यस्ततम विद्युत मांग, जो वर्तमान वर्ष 2020-21 के दौरान हुई, की तुलना में 392 गीगावाट (जीडब्ल्यू) थी।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1910
जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है ।

बुटवल और गोरखपुर के बीच विद्युत पारेषण लाइन

1910. श्री संजय सेठ:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बुटवल और गोरखपुर के बीच 400 किलोवाट की सीमा पार विद्युत पारेषण लाइन विकसित करने के लिए नेपाल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह नेपाल से अतिरिक्त बिजली प्राप्त करने में सहायक होगा; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार के एक उपक्रम, पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफॅ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड), ने 400 केवी गोरखपुर-बुटवल डबल सर्किट पारेषण लाइन के भारत के हिस्से का क्रियान्वयन करने के लिए पावरग्रिड एवं नेपाल विद्युत प्राधिकण द्वारा 50:50 की इक्विटी भागीदारी से एक संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी संस्थापित करने के लिए, 08 सितंबर, 2021 को नेपाल विद्युत प्राधिकरण के साथ शेयर धारकों के एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) और (घ) : 400 केवी बुटवल (नेपाल) - गोरखपुर (भारत) डबल सर्किट पारेषण लाइन दो देशों के बीच विद्युत के आदान-प्रदान के लिए 1000 मेगावाट की अतिरिक्त कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1913

जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है ।

उत्तर प्रदेश के लिए प्रधान मंत्री - सहज बिजली हर घर योजना (पीएम-सौभाग्य)

1913. श्री सैयद जफर इस्लाम:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी गांवों को बिजली से जोड़ने के लिए प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (पीएम सौभाग्य) का क्रियान्वयन किया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या वर्ष 2021 के लिए उक्त योजना के अंतर्गत गांवों को बिजली से जोड़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने देश में ग्रामीण क्षेत्रों के सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों के सभी इच्छुक गरीब घरों को मार्च, 2019 तक बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण हासिल करने के उद्देश्य से अक्तूबर, 2017 में "प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य" शुरू की। दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार, राज्यों ने छत्तीसगढ़ के वाम पंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के 18,734 घरों को छोडकर सभी घरों (उत्तर प्रदेश के 79,80,568 घरों सहित) का विद्युतीकरण किए जाने की सूचना दी। तदोपरांत, उत्तर प्रदेश ने, दिनांक 31.03.2019 से पहले अभिचिन्हित, 12,00,003 गैर-विद्युतीकृत घरों, जो पहले अनिच्छुक थे लेकिन विद्युत कनेक्शन लेने की इच्छा व्यक्त की, का विद्युतीकरण किया। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के अनुरोध के आधार पर, दिनांक 31.03.2019 से पहले अभिचिन्हित अतिरिक्त 3,34,652 गैर-विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के लिए जुलाई, 2021 में संस्वीकृति दे दी गई है।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1914
जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है ।

पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदला जाना

1914. श्री नारण भाई जे. राठवा:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर मीटरों को प्रीपेड (पूर्व-भुगतान) स्मार्ट मीटरों में बदलने के लिए परामर्शिका जारी की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई परामर्शिका का ब्यौरा क्या है;

(ग) पारंपरिक मीटर के साथ पर स्मार्ट मीटर के उपयोग की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) देश भर में उपर्युक्त परिवर्तन की अनुमानित लागत क्या है और क्या इस संबंध में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को मुआवजा देगी?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत मंत्रालय ने, सभी राज्यों से दिनांक 26.02.2021 के पत्र द्वारा स्मार्ट प्री-पेमेंट मीटरों/प्री-पेमेंट मीटरों में परिवर्तित करने के लिए रोडमैप तैयार करने हेतु अनुरोध किया है।

केंद्रीय बजट 2021-22 में, माननीय वित्त मंत्री ने पांच वर्षों के लिए 3,05,984 करोड़ रुपये के परिव्यय सहित सुधार-आधारित-परिणाम-संबद्ध विद्युत वितरण क्षेत्र स्कीम की घोषणा की। यह स्कीम डिस्कॉमों को वित्तीय सुधारों से जुड़े प्री-पेमेंट स्मार्ट मीटरिंग, फीडर पृथक्करण और प्रणालियों के उन्नयन आदि सहित अवसंरचना सृजन के लिए सहायता प्रदान करेगी। भारत सरकार द्वारा दिनांक 20.07.2021 को शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) में राज्यों को स्मार्ट मीटरिंग सहित उनकी प्रणालियों के आधुनिकीकरण में सहायता करने का प्रावधान है। स्मार्ट मीटरों की स्थापना ओपेक्स मोड में की जाएगी जिसमें एक हिस्से का अग्रिम भुगतान और शेष राशि का भुगतान मीटर के कार्य-निष्पादन के अधीन किश्तों में किया जाएगा।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1915

जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है ।

कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को सीएनजी/पीएनजी आधारित विद्युत संयंत्रों में परिवर्तित किया जाना

1915. श्रीमती अम्बिका सोनी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों की उत्पादन क्षमता सहित उनकी राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को सीएनजी/पीएनजी आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों में परिवर्तित करने की कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : दिनांक 31.10.2021 तक की स्थिति के अनुसार, कोयला आधारित विद्यत संयंत्रों की राज्य-वार संस्थापित क्षमता के ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) : विद्युत संयंत्रों का संपरिवर्तन तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर आधारित होता है और ऐसे निर्णय विद्युत संयंत्रों के स्वामियों द्वारा लिए जाते हैं क्योंकि विद्युत उत्पादन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार यह लाइसेंस-रहित गतिविधि है।

****

<u>अनुबंध</u>

राज्य सभा में दिनांक 14.12.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1915 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

दिनांक 31.10.2021 तक की स्थिति के अनुसार कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की संस्थापित क्षमता

ईंधन	**राज्य**	**क्षमता (मेगावाट)**	**संयंत्रों की संख्या**
कोयला	हरियाणा	5330	5
कोयला	पंजाब	5680	5
कोयला	राजस्थान	8900	8
कोयला	उत्तर प्रदेश	23729	19
कोयला	छत्तीसगढ़	23688	26
कोयला	गुजरात	14692	9
कोयला	मध्य प्रदेश	21950	14
कोयला	महाराष्ट्र	23856	23
कोयला	आंध्र प्रदेश	11590	9
कोयला	कर्नाटक	9480	7
कोयला	तमिलनाडु	9520	9
कोयला	तेलंगाना	7572.5	7
कोयला	बिहार	7710	7
कोयला	झारखंड	4250	7
कोयला	ओडिशा	9540	7
कोयला	पश्चिम बंगाल	14177	17
कोयला	असम	750	1
कुल		**202414.5**	**180**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1916

जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है ।

कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों की क्षमता

1916. श्रीमती अम्बिका सोनी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों की राज्य-वार कुल संस्थापित क्षमता कितनी है;

(ख) कतिपय विद्युत संयंत्रों द्वारा 22 दिनों का निर्धारित मानक कोयला स्टॉक नहीं बनाए रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) कोयले की आपूर्ति में बार-बार आने वाले संकट को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : दिनांक 31.10.2021 तक की स्थिति के अनुसार, कोयला आधारित विद्यत संयंत्रों की राज्य-वार संस्थापित क्षमता **अनुबंध** में दी गई है।

(ख) : अप्रैल-नवंबर, 2021 के दौरान, विद्युत संयंत्र पर्याप्त कोयला भंडार बनाए रखने में सक्षम नहीं थे क्योंकि देश में कोयला आधारित विद्युत उत्पादन आर्थिक गतिविधियों के पुनः शुरू होने के कारण विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 16% बढ़ गया था। इसके अलावा, घरेलू कोयले की आपूर्ति भारी बारिश, जो अक्तूबर, 2021 के पहले सप्ताह तक जारी रही, के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आयातित कोयले के मूल्यों में वृद्धि, जिसके कारण ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयले का कम आयात किया गया, जैसे कारणों के कारण बाधित हुई।

अप्रैल-जून, 2021 में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण, उत्पादन और उपस्कर व्यवस्थाएं भी प्रभावित हुई थीं, क्योंकि बड़ी संख्या में जनशक्ति संक्रमित हो गई थी।

(ग) : सरकार ने विद्युत संयंत्रों को कोयला आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) विद्युत क्षेत्र को कोयला आपूर्ति के मुद्दों का समाधान करने के लिए, विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और सिंगरेनी

कोइलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों को मिलाकर बना अंतर-मंत्रालयी उप समूह ताप विद्युत संयंत्रों को कोयला की आपूर्ति को बढ़ाने के साथ-साथ विद्युत संयंत्रों में कोयला भंडारण की गंभीर स्थिति को कम करने सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न प्रचालन संबंधी निर्णय लेने के लिए नियमित बैठकें करता है।

(ii) विद्युत मंत्रालय ने ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) में कोयले के भंडारों की गहन निगरानी सुनिश्चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय, रेलवे, सीईए, सीआईएल, एनटीपीसी, डीवीसी और पोसोको के सदस्यों के साथ एक कोर प्रबंधन दल (सीएमटी) का गठन किया है और टीपीपी को पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सीएमटी पर प्रचालन संबंधी निर्णय लिए जा रहे हैं।

(iii) अपने कोयला भंडारण को बढ़ाने में विद्युत संयंत्रों की सहायता करने के लिए, सीआईएल ने अक्तूबर, 2021 में राज्य/केंद्रीय जेनकोज को रेल सह सड़क (आरसीआर)/सड़क मोड के माध्यम से उठान के लिए अपनी विभिन्न सहायक कंपनियों से लगभग 5.2 मिलियन टन अतिरिक्त कोयले की पेशकश की।

(iv) प्रत्येक वर्ष फरवरी से जून तक पिट हेड स्टेशनों पर 17 दिनों और गैर-पिट हेड स्टेशनों पर 26 दिनों के लिए कोयले के भंडार रखने को अनिवार्य बनाने के लिए सीईए द्वारा 85% संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) पर आधारित संशोधित कोयला भंडारण मानदंडों को जारी कर दिया गया है।

(v) स्थिति की समीक्षा करने और देश में विद्युत संयंत्रों को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सचिव (कोयला), सचिव (विद्युत), सचिव (एमओईएफएंडसीसी) और अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड को शामिल करते हुए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है।

****

<u>अनुबंध</u>

राज्य सभा में दिनांक 14.12.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1916 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

दिनांक 31.10.2021 तक की स्थिति के अनुसार कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की संस्थापित क्षमता

ईंधन	**राज्य**	**क्षमता (मेगावाट)**
कोयला	हरियाणा	5330
कोयला	पंजाब	5680
कोयला	राजस्थान	8900
कोयला	उत्तर प्रदेश	23729
कोयला	छत्तीसगढ़	23688
कोयला	गुजरात	14692
कोयला	मध्य प्रदेश	21950
कोयला	महाराष्ट्र	23856
कोयला	आंध्र प्रदेश	11590
कोयला	कर्नाटक	9480
कोयला	तमिलनाडु	9520
कोयला	तेलंगाना	7572.5
कोयला	बिहार	7710
कोयला	झारखंड	4250
कोयला	ओडिशा	9540
कोयला	पश्चिम बंगाल	14177
कोयला	असम	750
कुल		**202414.5**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1917

जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है ।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के कार्यान्वयन के संबंध में विद्युत मंत्रालय द्वारा समीक्षा किया जाना

1917. श्री टी.जी. वेंकटेश:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय के अधिकारियों ने मंत्रालय से संबंधित मामलों पर आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के कार्यान्वयन में प्रगति के संबंध में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामलों का समाधान करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : तेलंगाना द्वारा विद्युत देय राशियों का भुगतान नहीं करने के मुद्दे के संबंध में, आंध्र प्रदेश द्वारा संदर्भित किए जाने पर, विद्युत मंत्रालय में दिनांक 08.11.2021 को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। भारत सरकार ने दोनों राज्यों को इस मामले को आपसी सहमति से सुलझाने का सुझाव दिया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1918

जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है ।

कोयला भंडार बनाए रखा जाना

1918. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा 20 दिनों से ज्यादा के पर्याप्त कोयला भंडार बनाए रखने की निगरानी करने के लिए अगस्त, 2019 से प्रवर्तन में आए भुगतान सुरक्षा तंत्र के लागू होने से लेकर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

सरकार ने विद्युत संयंत्रों को कोयला आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. विद्युत क्षेत्र को कोयला आपूर्ति के मुद्दों का समाधान करने के लिए, विद्युत, कोयला, रेल मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और सिंगरेनी कोइलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों को मिलाकर बना अंतर-मंत्रालयी उप-समूह ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपीज़) को कोयला की आपूर्ति को बढ़ाने के साथ-साथ विद्युत संयंत्रों में कोयला भंडारण की गंभीर स्थिति को कम करने सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न प्रचालन संबंधी निर्णय लेने के लिए नियमित बैठकें करता है।

ii. विद्युत मंत्रालय ने टीपीपीज़ में कोयले के भंडारों की गहन निगरानी सुनिश्चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय, रेलवे, सीईए, सीआईएल, एनटीपीसी, डीवीसी और पोसोको के सदस्यों के साथ एक कोर प्रबंधन दल (सीएमटी) का गठन किया है और टीपीपीज को पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सीएमटी पर प्रचालन संबंधी निर्णय लिए जा रहे हैं।

iii. अपने कोयला भंडारण को बढ़ाने में विद्युत संयंत्रों की सहायता करने के लिए, सीआईएल ने अक्तूबर, 2021 में राज्य/केंद्रीय जेनकोज को रेल सह सड़क (आरसीआर)/सड़क मोड के माध्यम से उठान के लिए अपनी विभिन्न सहायक कंपनियों से लगभग 5.2 मिलियन टन अतिरिक्त कोयले की पेशकश की।

iv. प्रत्येक वर्ष फरवरी से जून तक पिट हेड स्टेशनों पर 17 दिनों और गैर-पिट हेड स्टेशनों पर 26 दिनों के लिए कोयले के भंडार रखने को अनिवार्य बनाने के लिए सीईए द्वारा 85% संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) पर आधारित संशोधित कोयला भंडारण मानदंडों को जारी कर दिया गया है।

v. स्थिति की समीक्षा करने और देश में विद्युत संयंत्रों को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सचिव (कोयला), सचिव (विद्युत), सचिव (एमओईएफएंडसीसी) और अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड को शामिल करते हुए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1919

जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है ।

विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन

1919. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रस्तावित संशोधन से छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) क्या प्रस्तावित संशोधनों के कारण किसानों को बिजली के बिलों पर मिलने वाली राजसहायता के समाप्त होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार की उक्त अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन किए जाने के बाद प्रशुल्क नीति में संशोधन करने की योजना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : राज्य सरकार के स्वामित्व वाली अधिकांश वितरण कंपनियों की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। उनकी एटीएंडसी हानियां वर्ष 2019-20 के अंत में औसतन 21% से अधिकतम 60.16% तक हैं। विनियामक परिसंपत्तियों और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अनुदानों को छोड़कर, औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) और औसत राजस्व वसूली (एआरआर) के बीच अंतर वर्ष 2019-20 में औसतन 60 पैसे प्रति यूनिट था और वर्ष 2019-20 तक देश में सभी डिस्कॉमों की संचयी हानियां बढ़कर 5,07,416 करोड़ रुपये हो गई हैं। डिस्कॉम खरीदी गई विद्युत के लिए उत्पादन कंपनियों को भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं और उत्पादन कंपनियों का बकाया भुगतान 1,56,000 करोड़ रुपये से अधिक प्राक्कलित है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों की बकाया देय राशियां लगभग 11 माह के राजस्व के बराबर हैं। इसलिए, राज्यों और सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के दौरान सुधारों पर चर्चा की गई। अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) और (ङ) : राज्य सरकारों के पास विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 और टैरिफ नीति के संगत प्रावधानों के अनुसार, उस सीमा तक सब्सिडी देने का अधिकार है जिसे वे उपयुक्त समझें। इस प्रावधान को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1920
जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है ।

आंध्र प्रदेश में ताप विद्युत परियोजनाएं

1920. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन से लेकर अब तक वहां एक भी केंद्रीय क्षेत्र की ताप विद्युत परियोजनाओं शुरू नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आगामी वर्षों में केंद्रीय क्षेत्र की श्रेणी में नया ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : उत्पादन एक लाइसेंस-रहित गतिविधि है और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार "कोई उत्पादन कंपनी यदि वह ग्रिड के संयोजन से संबंधित तकनीकी मानकों को पूरा करती है, तो इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति/अनुमति प्राप्त किए बिना किसी उत्पादन केंद्र की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव कर सकती है"। तदनुसार, ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए सरकार की संस्वीकृति/अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।

वर्तमान में देश में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध है।

****